HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Criminal Revision Petition No. 1779/2024

Farida Begum W/o Ayub Khan, R/o House No.3, Saiyad Colony, Char Darwaje Ke Ander, Gangapole, Jaipur.

----Petitioner

Versus

1. State Of Rajasthan, Through P.p.
2. Bhagwat Singh S/o Late Thakur Madan Singh @ Late Shri Muraddan, R/o Village Post Harmada, Nindad Mod And House No. 2556, Telipada, Chaura Rasta, Jaipur.

----Respondents

For Petitioner(s)	:	Mr. Vinod Pathak, Adv. for Mr. Vishnu Kumar Sharma, Adv.
For Respondent(s)	:	Mr. N S Dhakad, PP

HON'BLE MR. JUSTICE UMA SHANKER VYAS

Judgment / Order

05/05/2025

S.B. Criminal Misc. Suspension of Sentence App. No. 524/2024:-

सुना गया।

अभियुक्त/याची को विचारण न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध करते हुए कारावास व अन्य दण्ड से दण्डित किया गया, जिसके विरूद्ध अपील प्रस्तुत किये जाने पर अभियुक्त की अपील खारिज की गई, लेकिन तत्समय अभियुक्त अपीलीय न्यायालय में अनुपस्थित रहा और यह निगरानी याचिका प्रस्तुत करते समय भी उसके द्वारा समर्पण नहीं किया गया है, इस संबंध में कार्यालय का आक्षेप रहा है।

राजस्थान उच्च न्यायालय नियम 1952 के नियम 323 के अनुसार अभियुक्त के समर्पण किये बिना यह दण्डादेश स्थगन आवेदन सुनवाई हेतु

स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है, अतः ऐसी स्थिति में यह स्थगन आवेदन खारिज किया जाता है।

अभियुक्त द्वारा समर्पण किये जाने के पश्चात यदि कोई नवीन दण्डादेश स्थगन आवेदन पेश होता है, तो उस पर नये सिरे से सुनकर विचार किया जायेगा।

S.B. Criminal Revision Petition No. 1779/2024:-

चूंकि अभियुक्त द्वारा समर्पण नहीं किया गया है तथा दण्डादेश स्थगित भी नहीं है, अतः ऐसी स्थिति में अभियुक्त को सजा भुगताने हेतु विचारण न्यायालय द्वारा की गई कार्यवाही के संबंध में कार्यालय तथ्यात्मक रिपोर्ट प्राप्त करे।

अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख यदि तलब कर रखा है तो अविलम्ब विचारण न्यायालय को प्रेषित किया जावे।

प्रकरण छह सप्ताह पश्चात पुनः सूचीबद्ध किया जावे।

(UMA SHANKER VYAS),J

Murari Lal Sharma /101